महिलाओं में हिंसा एंव उत्पीड़न की समस्याएँ

सुशांत प्रियदर्शी
ग्राम – चकरसुलाबाद
पो – मालपुर
थाना – पातेपुर
जिला – वैशाली

भारत में 17 प्रतिषत कामकाजी महिलाएँ अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन का षिकार होती है। यह आँकड़ा संगठित तथा असंगठित दोनो क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के बीच यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं को दर्षाता है [1] । सर्वेक्षण के अनुसार 400 में से 66 महिला प्रतिभागियों के अनुसार उन्हें यौन उत्पीड़न के 121 घटनाओं का सामना करना पड़ा. जिसमें 102 घटनाएँ मानसिक उत्पीड़न से जुड़ी नहीं थी । जबकि रोज 19 घटनाएँ षारीरिक उत्पीड़न की थी । ज्यादातर महिलाओं के कथानूसार कभी किसी भी तरह की औपचारिक कार्रवाई का प्रयास नहीं किया । महिलाओं के लिए तीन क्षेत्र श्रम. घरेलू कामकाज और लघु उधोग प्रमुख रुप से असुरक्षित माने जाते है। श्रमिक क्षेत्र में 29 प्रतिषत . घरेलू नौकरानियों में 23 प्रतिषत जबकि लघु उधोग इकाई से जुड़ी 16 प्रतिषत महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की षिकायत की [2] । ऑक्सफेम की सीईओ निषा अग्रवाल के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा मानवाधिकारों का उल्लंधन है । वह चाहे घर में या फिर कार्यस्थल में ही क्यों न हो, लेकिन सरासर गलत कदम है ।

भारतीय दण्ड संहिता महिला हिंसा के अपहरण, दहेज , हत्या, प्रताड़ना,(मानसिक, षारीरिक) छोड़कर , यौन उत्पीड़न और उनकी टरैफिकिन जैसे मामलों के रुप में पारिभाषित करता है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार औसतन हर 20 मिनट में एक दुष्कर्म का मामला दर्ज होता है। असम में महिला हिंसा की दर 89.5 प्रतिषत है। 800 मामले जनवरी से जुलाई 2013 के बीच दर्ज हुए थे [3] । 12857 मामलों में से 8.15 2005 से 2012 के बीच मामले दर्ज हुए हैं। में ही पुलिस ने चार्जषीट दाखील की हैं । वर्ष 2011 में 38,156 दुष्कर्म के नए मामले दर्ज किए गए । 22.908 महिला हिंसा के पुराने मामलों की पुलिस द्वारा जाँच की गई । 18,765 मामलों में चार्जषीट फाइल की गई । 15,423 मामलों की सुनवाई अदालत में पुरी हुई तथा 4072 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया । एक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 74 प्रतिषत की बढ़ोतरी हुई है तथा घरेलू हिंसा के मामलो में 140 प्रतिषत की वृद्धि हुई है जबकि अपहरण के 117 प्रतिषत मामले बढ़े है [4] ।

राष्टरीय महिला आयोग के महानगरीय कामकाजी महिलाओं की इस अषिष्टता पर आधारित जो व्यापक सर्वेक्षण कराया था , उसके अनुसार लगभग 50 प्रतिषत महिलाओं को किसी न किसी रुप में अधिकारियों की बुरी दृष्टि का सामना करना पड़ता है। इनमें से 40 प्रतिषत महिलायें इन व्यवहारों को इसलिए बर्दाष्त कर लेती है क्योंकि वे जानती हैं कि इतना तो चलता है। इसलिए वे भी छोटी – मोटी बातों का टाल जाती है। सिर्फ 10 प्रतिषत महिलायें ही अपने ऊपर के होनेवाली इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाती है। अपनी सुरक्षा और संरक्षण के लिए न्यायिक प्रावधानों को अपनाती है। इन न्यायिक प्रावधानों में उन्हें कितना संरक्षण या सुरक्षा मिलती है, वे इस विषय में सफल होती है, सर्वेक्षण के अनुसार कामकाज के दोरान अधिकारियों या प्रबन्धको का कोपभाजन इन महिलाओं को ही बनना पड़ता है, इसका ग्राफ दिनानुदिन बढ़ता ही जा रहा है [5] ।

महिलाओं से छेड़छाड़ छींटाकसी, अनुचित हरकते, बस अड्डा, गाड़ी में धक्का देना, अस्वाभाविक स्पर्ष, अभद्रता आदि का व्यवहार अब आम घटनाएँ हो गई है। बीच चौराहे पर इस तरह की घटनाएँ होती है, लेकिन देखते हुए लोग इसके विरोध करने का हिम्मत नही जुटा पाते । जो विरोध करते भी हैं तो उनसे झगड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि चाकूबाजी की भी नौबत आ जाती है [6] । इसलिए उस दृष्य को देखकर भी अनदेख कर देते ह, जिसका परिणाम यह होता है कि इस तरह के अपराधियों के हौंसले बुलदं रहते है और सामाजिक समस्याए बद से बदतर होती जाती है।

मामला चाहे चण्डीगढ़ की सुश्री बाजाज का हो, बिहार की बाँवी का, गोवा की कुमार सायदमन की या दिल्ली का कुमारी रत्ता या षिवानी का मामला हो, इन्दौर की रोजी का हो या गोपाल का भाबनम को हो,थोड़ी बहुत परिवर्तनों के साथ घटनाएँ समान हो जाती है। महिलाओं को कानूनी संरक्षण तो मिलता है। लेकिन न्यायिक प्रकिया इतनी कठिन और लम्बी होती है कि एक दो वर्ष में ये अन्दर ही अन्दर टुट जाती है। अंतत; बात ढ़ाक के तीन पात तक सीमित होकर समाप्त हो जाती है।

सिनेमाई संस्कृति,फैषन का प्रभाव, ग्लैमर भरी जीन की चाह, मादक पदार्थो का बढ़ता सेवन अष्लील पोस्टर और पत्रिकाएँ फिल्मी सम्वाद आदि का यह प्रभाव रहा है कि अकेली लड़की या महिला का घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नही होता [7] । कभी – कभी तो बाहर काम करने वाली महिलाओं को ऐसी परिस्थितियाँ का सामना करना पड़ता हैकि वे बदजुमानी और जिल्लत की जिन्दगी जीने को विवष हो जाती है,क्योंकी अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें न तो कानूनी संरक्षण मिलता है, और न ही त्याग अनिष्चय और असुरक्षा की तलवार उन्हें हमेषां भयभीत किए हुए रहती है। नारी का अदालत में जाना ही यहाँ उसका सबसे बड़ा अपराध माना जाता है [8] । पुरुष प्रधान इस सामाजिक व्यवस्था में हर व्यक्ति औरत को भाक की निगाह से देखता है ।अदालत के कठघरे में खड़ी महिलाएँ हमेषा लोगो को सवालिया नजरों का षिकार रहती है। यहाँ से उसकी अपेक्षा के सिवा कुछ नही मिल पाता ।

पुरुष प्रधान समाजिक व्यवस्था के कारण स्त्रियों का पक्ष हमेषा से कमजोर रहा । पुरुष की इस कमजोरी का लाभ हमेषा से मिलता आया है। लोक चर्चा, लोक निन्दा और बदनामी का भय बताकर स्त्रियों को हमेषा पुरुष वर्ग की तरफ से ही होती है। क्योकि पुरुष वर्ग की मानसिकता आज भी वैसी ही है । मनोवैज्ञानिक आधार पर भी स्त्रियाँ हमेषा कमजोर होती है। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होनेवाली इस छेड़छाड़ का समाधान कानून द्वारा नही हो सकता । इस तरह की षिकार महिलाएँ न तो पुलिस संरक्षण में जाती है और न ही पुलिस इन मामलों में कोई विषेष रुचि ले पाती है। यदि कहीं किसी तरह की बात भी हाती है तो इसे वह अपने स्तर से निपटा लेने की पहल करती है [9] । कामकाजी महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध या तो प्रभावषाली व्यक्तियों द्वारा किए जाते है या असामाजिक तत्वों द्वारा होते है। दोमोटी परिस्थितियों में फरियादी को बदनामी का भय दिखाकर अनुचित दवाब डालकर या अन्य किसी तरह के माल के प्रारंभ से ही इतना बिगाड़ दिया जाता है कि वह इन कानूनी अधिकारों से अलग हो जाए । इस मामलें को इतना रंग दिया जाता है कि मामला अंतत; प्रभावहीन हो जाता है। दो चार पेषियो के बाद अभिभावक भी यही चाहने लगते है कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए ।मामला जितना तूल पकड़ता है उतना ही खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इस तरह के मामले वापस लेने में भी पूरा–पूरा लाभ अपराधी पुरुषों को ही मिलता है। महिलाएँ भी रोज–रोज की बयानबाजी , छीटाकषी और वयंग्यवाणों से दुखी हो जाती है। कानून साक्ष्य नही हो पाता । पैसे और प्रभाव के आगे महिलाओं के प्रति किए गए अपराध या तो चल ही नही पाते, यदि चलते भी तो षीघ्र ही निरस्त हो जाते है। अंतत; महिलाओं को आत्मग्लानि ही हाथ लगती । इस तरह के अपराधी इसलिए बच जाते है कि ऐसे विषयों के न साक्ष्य मिलते है और न वारदात के अन्य सबूत । कानून प्रावधानों के बाद भी इनके लाभ कामकाजी महिलाओं को इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि न्यायिक प्रकिया इतनी कठिन , जटिल और इतने सारे दाव पेचों में उलझी हुई है कि सामान्य महिलाए तो इसे पूरा ही नही कर पाती । कोर्ट, कचहरी, वकील, तारीख बयान, सबूत डॉक्टरी रिपोर्ट आदि के नाम से अच्छे–अच्छे के हौसले पस्त हो जाया करते है। भावना और संघर्ष में भी घाटा महिलाओं को ही होता है।

महिला संगठनो के अनुसार इस तरह की सुनवाई ऐसे अधिकारियों की जानी चाहिए जिसका आचरण संदेह के घेरे में न हो और उसे न्यायाधीष नषा पान नही करता हो । समय के नाम पर पीड़ित महिलाओं को कुछ इस तरह से अपमानित किया जाता है कि वे अपने हाल पर विवष होकर रोने लगती है, किन्तु उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम पुरी अदालत में होता रहता है [10] । वास्तव में पीड़ित महिलाओं की असुरक्षा एक समाजिक बुराई है । इसलिए ऐसे दुर्व्यवहारो , हादसो एवं परिवारिक जीवन में सिर्फ कामकाजी महिलाओं का यथेष्ट मान सम्मान और प्रतिष्ठा दे बल्कि उनके उस भक्ति स्वरुप की भी पहचान करे जिसकी पुजा हमारे देष में होती आई है। वास्तव में महिलाओं के साथ दोहरी विडम्बना होती है उन्हे अपमान तो झेलना ही पड़ता है, साथ ही प्रताड़ना भी सहनी पड़ती है। मानसिक वेदना और तनावों में से होकर भी गुजरना पड़ता है। अत; यह

आवष्यक है कि उनके साथ दुर्व्यवहारों, घटनाओं अथवा हादसो को गुप्त रखे जाने की आवष्यकता है।

कानून और ईष्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अत; महिलाओं को, लड़कियो को स्त्रियो को इस विषय में खुली साच रखने की आवष्यकता है। अपने साथ हुए अन्याय, दुर्व्यवहार , गलत हरकत और अभद्रता के लिए आत्मविष्वास तथा साहस के साथ काम लेकर , कनूनी संरक्षण प्राप्त करना चाहिए । कार्यरत महिलाओं को तो इस विषय में पहल करनी ही चाहिए साथ ही पारिवारीक जीवन में भी उन महिलाओं के उतना ही स्नेह विष्वास और सहानुभूति मिलनी चाहिए जो इस तरह के दुर्व्यवहार से ग्रसित है।

स्त्रोत एवं सन्दर्भ ;–

1- दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेन्टर एंव ऑक्सफेम इण्डिया और आई एम़ आऱ बी इन्टरनेषनल के संयुक्त तत्त्वाधान में सर्वेक्षण 2011–12 के आधार पर ।
2- वही
3- नेषनल काइम रिकॉर्ड ब्यूरो तथा राइट ग्रुप के संयुक्त तत्त्वाधान में सर्वेक्षण 2013 के आधार पर ।
4- प्रभात खबर –2 अप्रैल 2014 (मिन संवाददाता के अनुसार)
5- के़ के़ दत्ता – हिस्टरी आफ द फ्रीडम मुवमेन्ट इन बिहार – पृ0 5
6- डॉ षारदा कुमारी – स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिला उत्पीड़न
7- वही पृ0 99
8- के़ के़ दत्ता– उपरोक्त पृ0 25
9- लेटर फॉम एच़ एल हेस्पलर मजिस्टरेट ऑफ तिरहुत इन द कमिषन स्वाई पटना 27 जुलाई 1958
10- के़ के़ दत्ता– उपरोक्त पृ0 63